प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 25.08.2024**

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की मुँह दबाकर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19/20.08.2024 की रात को अभियुक्त शहनवाज ने रूकसार के परीजनों को सूचना दी कि रुकसार की मृत्यु स्वभाविक कारणों से हो गयी है जिसके बाद परिजनों द्वारा स्वाभाविक मृत्यु जानकर मृतका के शव को रिति रिवाज से पिलखुआ ले जाकर अन्तिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन शहनवाज के पुत्र द्वारा मृतका के परिजनो को बताया कि उसके पिता शहनवाज ने ही उसकी माँ को मुँह दबाकर मारा है। तत्पश्चात दिनांक 22.08.2024 को थाना मसूरी पर वादी इमरान पुत्र नजरुद्दीन निवासी मौ0 सद्दीकपुरा कृष्णगंज विलाल मस्जिद के पास पिलखुआ के द्वारा अपनी बहन रुकसार की उसके पति शहनवाज द्वारा दिनांक 19/20.08.2024 की रात में मुंह दबाकर हत्या करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मसूरी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। थाना मसूरी पुलिस द्वारा मृतका के शव को जिलाधिकारी हापुड़ के आदेश से धौलाना एसडीएम की मौजूदगी में कब्र से निकलावाकर पंचायतनामा की नियमानुसार कार्यवाही करायी गयी।

दिनांक 25.08.2024 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा उक्त हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त शहनवाज पुत्र जाफर निवासी सलाई थाना हापुड़ देहात हाल पता किरायेदार जाहिद का मकान मुगल गार्डन मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेंरी शादी लगभग 08 वर्ष पूर्व रुकसार के साथ हुयी थी मेरी पत्नी से मेरे दो बच्चे एक बेटा व एक बेटी है बडी बेटी मेरे ससुरालीजनो के पास ही रहती है। शादी के बाद से ही मेरी पत्नी घर में कलेश करती रहती थी और झगडा करके मायके चली जाती थी फिर रिश्तेदारो के हस्तक्षेप से सुलह कर आ जाती थी। मैं झगडा शान्त करने के लिये अपनी ससुराल मे भी किराये पर रहा अब मैं 04-05 महीने से अपने पाँच वर्षीय बेटे उजैर व पत्नी के साथ जाहिद प्रधान के घर मुगल गार्डन मसूरी पर रह रहा था। मेरी पत्नी फिर भी आये दिन झगडा करती रहती थी और मेरा कहना नही मानती मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो मैनें हर रोज के झगडे से परेशान होकर दिनांक 20.08.2024 में सुबह लगभग 03.30 बजे अपनी पत्नी रुक्सार को मुंह दबाकर मार दिया तथा अपने ससुरालीजनो को रुकसार की मृत्यु दवाई खाने से हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी जिस पर सब रिश्तेदार इकठ्ठा हो गये जिनके द्वारा रुकसार का दफीना करवा दिया गया। मेरे लडके ने दफीना के दूसरे दिन रुकसार के परिजनो को मेंरे द्वारा पत्नी की हत्या करने के सम्बन्ध मे बता दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

शहनवाज पुत्र जाफर निवासी सलाई थाना हापुड देहात हाल पता किरायेदार मुगल गार्डन मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब- 28 वर्ष,

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा पशु चोरी करने की योजना बनाने वाले 03 शातिर पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 03 जिंदा कारतूस .32 बोर, 02 अवैध देशी तमंचा, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मैक्स पिकअप गाडी बरामद

दिनांक 25.08.24 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर शातिर पशु चोर 1.दानिश पुत्र कलुवा निवासी बहनोई जहुरा के मकान में मोहल्ला पीर खान कमेले के पास गुलावठी थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर, 2. सानू उर्फ शाहनवाज पुत्र शहाबुद्दीन उर्फ साबू निवासी मामा आबिद पुत्र फकीरा के मकान में मोहल्ला पुरानी पैंठ इकबाल की डेरी के पास डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद, 3.साबिर पुत्र मुस्तकीम निवासी पहलवान कॉलोनी गली नंबर 05 खजूर का पेड़ शमशान घाट थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से **01 अवैध पिस्टल 03 जिंदा कारतूस .32 बोर, 02 अवैध देशी तमंचा, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मैक्स पिकअप गाडी बरामद** हुई । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम पशु चोरी करके अपने शौक व जरुरते पूरी करते है। हम लोग आज भी पशु चोरी करने की योजना बना रहे थे। अवैध पिस्टल व तमंचा के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि ये हथियार हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते है ताकि कोई विरोध करे तो पिस्टल/तमंचा दिखाकर उन्हे डरा सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. दानिश पुत्र कलुवा निवासी बहनोई जहुरा के मकान में मोहल्ला पीर खान कमेले के पास गुलावठी थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर उम्र लगभग 25 वर्ष,
2. सानू उर्फ शाहनवाज पुत्र शहाबुद्दीन उर्फ साबू निवासी मामा आबिद पुत्र फकीरा के मकान में मोहल्ला पुरानी पैंठ इकबाल की डेरी के पास डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र लगभग 28 वर्ष,
3. साबिर पुत्र मुस्तकीम निवासी पहलवान कॉलोनी गली नंबर 05 खजूर का पेड़ शमशान घाट थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ उम्र लगभग 25 वर्ष,

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त दानिश के विरुद्ध थाना मसूरी पर गौकशी के 03 व आर्म्स एक्ट 02 व हत्या का प्रयास के 03 व गैंगस्टर का 01 अभियोग व थाना कविनगर पर चोरी का 01 व गौकशी के 02 अभियोग (कुल 12) अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त साबिर के विरुद्ध थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ मे हत्या का प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध पिस्टल 03 जिंदा कारतूस .32 बोर,
02 अवैध देशी तमंचा, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर,
फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मैक्स पिकअप गाडी बरामद,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।